

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की दिनांक 09 जून, 2016 को सम्पन्न इक्कीसवीं बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस०एल०एस०सी०) की 21वीं बैठक दिनांक 09, जून 2016 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन के साथ-साथ भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉ० आशीष कुमार भूटानी एवं नीति आयोग, भारत सरकार के सलाहकार (कृषि), डॉ० जे०पी० मिश्रा द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि एवं सम्बर्गीय क्षेत्र के विभागों/संस्थाओं यथा कृषि, पशुपालन, उद्यान, डेयरी, सिंचाई, लघु सिंचाई, मत्स्य, सहकारिता, रेशम, कृषि विविधीकरण परियोजना, प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय आदि के प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष/प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

प्रमुख सचिव, कृषि द्वारा समस्त अधिकारियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ किया गया। बैठक में लिये गये निर्णय एवं निर्देशों का विवरण निम्नवत् है :-

1:- समिति की गत बैठक दिनांक 05.02.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि

समिति को अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की गत बैठक दिनांक 05.02.2016 को सम्पन्न हुई थी, जिसका कार्यवृत्त पत्र सं०-171/12-3-2016-199/2007 दिनांक 16.02.2016 के द्वारा समिति के समस्त सदस्यों एवं कार्यदायी विभागों को उपलब्ध कराया गया है। बैठक के कार्यवृत्त प्रस्तर-5.1.a पर कृषि विभाग की Farm ponds for conservation of rain water in Bundelkhand region परियोजना लागत रु० 1220.50 लाख के अन्तर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु प्रस्तावित धनराशि रु०-8000.00 प्रति तालाब, कुल रु०-160.00 लाख के औचित्य के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की गई थी। अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण), उ०प्र० के पत्रांक:-भू०सं०/एस०एम०एस०-श० एवं वा०/खेत-तालाब/03/2016-17 के द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित धनराशि रु०-8000.00 प्रति तालाब, कुल रु०-160.00 लाख का उपयोग कृषकों के प्रशिक्षण, सर्वेक्षण एवं नियोजन आदि कार्य हेतु किया जाना है। समिति द्वारा प्रकरण का संज्ञान लिया गया तथा उल्लिखित कार्य हेतु प्रति तालाब रु०-8000.00 व्यय करने हेतु सहमति प्रदान की गई। तदोपरान्त समिति द्वारा गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।



2:- गत बैठक दिनांक 05.02.2016 में लिए गए निर्णयों पर परिपालन की स्थिति

बैठक में अवगत कराया गया कि समिति की गत बैठक दिनांक 05.02.2016 में लिए गये निर्णयों पर सामान्यतः यथा निर्देश परिपालन करा लिया गया है, जिसका विवरण एजेण्डा के पृष्ठ सं०-2 से 20 पर दिया गया है। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 05.02.2016 में अनुमोदित रेशम विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य एवं कृषि विभाग की पूँजीगत परियोजनाओं हेतु अनुमोदित धनराशि के अनुसार सक्षम स्तर से विस्तृत आँगणन के अनुमोदन एवं कार्यदायी संस्था के चयन की कार्यवाही सम्बन्धित विभागों द्वारा नहीं करायी गयी है। इस कारण से समिति के अनुमोदनानुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत नहीं कराई जा सकी। समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित विभाग अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष विस्तृत आँगणन एवं कार्यदायी संस्था का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए वित्तीय मांग का प्रस्ताव नोडल विभाग (कृषि विभाग) को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा प्रस्तरवार प्रस्तुत परिपालन की स्थिति का संज्ञान लिया गया।

3:- योजना की वर्ष 2015-16 की प्रगति की स्थिति

- I. योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2015 को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के अवशेष के रूप में क्रमशः ₹0-35.59 करोड़ व ₹0-149.80 करोड़ कुल ₹0 185.39 करोड़ की धनराशि उपलब्ध थी। केन्द्र स्तर से सम्पूर्ण धनराशि का पुनर्वैधीकरण प्राप्त करते हुए वर्ष 2015-16 में ₹0-166.82 करोड़ का व्यय कराया गया। दिनांक 01.04.2016 को वर्ष 2013-14 की ₹0-12.3249 करोड़ एवं वर्ष 2014-15 की ₹0-6.2421 करोड़, कुल ₹0-18.5670 करोड़ की धनराशि अप्रयुक्त रह गई, जिसका उपयोग वर्ष 2016-17 में कराने के लिए पुनर्वैधीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। समिति द्वारा उक्त अवशेष धनराशि का पुनर्वैधीकरण कराकर वर्ष 2016-17 में व्यय सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।
- II. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए परिवर्तित फंडिंग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश:राज्यांश) के अनुसार मात्राकृत धनराशि ₹0-591.35 करोड़ के सापेक्ष केन्द्र स्तर से ₹0-177.41 करोड़ की धनराशि केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की गई। उपलब्ध केन्द्रांश के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश ₹0-118.27 करोड़ को सम्मिलित करते हुए कुल ₹0-295.68 करोड़ की उपलब्धता के सापेक्ष ₹0-141.18 करोड़ (47.75 प्रतिशत) का व्यय कराया जा सका। समिति के संज्ञान में यह भी लाया गया कि वर्ष 2015-16 में उपलब्ध केन्द्रांश के सापेक्ष राज्य स्तर से राज्यांश की उपलब्धता पर वित्त विभाग की सहमति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण शत-प्रतिशत वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत नहीं कराई जा सकीं। समिति द्वारा प्रकरण का संज्ञान लिया गया तथा वर्ष 2016-17 में स-समय वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत कराते हुए उपलब्ध धनराशि का व्यय सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।



III. वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल उपलब्ध धनराशि ₹0 481.07 करोड़ के सापेक्ष राज्य स्तर से ₹0-362.44 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत की गई। निर्गत स्वीकृतियों के सापेक्ष ₹0-308.00 करोड़ (85 प्रतिशत) का व्यय कराया गया है। सामान्यतः सभी विभागों की प्रगति का स्तर संतोषजनक रहा है। वर्ष 2015-16 में मत्स्य विभाग की प्रगति ही 37 प्रतिशत रही है। इसके अतिरिक्त उद्यान विभाग एवं मत्स्य विभाग द्वारा संचालित उपयोजनाओं यथा-वी0आई0यू0सी0 एवं एन0एम0पी0एस0 के घटक रिजर्वायर फिशरीज हेतु निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय शून्य रहा है। समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित विभाग वर्ष 2016-17 में उपयोजनाओं की अप्रयुक्त धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग कराना सुनिश्चित करें।

4:- एस0एल0एस0सी0 से पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं में कतिपय संशोधनों पर विचार

एजेण्डा-4 के रूप में एस0एल0एस0सी0 से पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं में संशोधनों के प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिये गये निर्णय/निर्देशों का विवरण निम्नवत् है :-

I. कृषि विभाग-

i) Integrated Cereal Development Programme-Rice :- समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 05.02.2016 में खरीफ-2016 हेतु हाइब्रिड एवं प्रमाणित धान बीजों पर क्रमशः ₹0-50.00 प्रति कि0ग्रा0 एवं ₹0-10.00 प्रति कि0ग्रा0 अनुदान तथा जिंक सल्फेट एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों पर ₹0-500.00 प्रति हे0 के अनुदान की परियोजना हेतु ₹0-300.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई। उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय के क्रम में हाइब्रिड धान बीज के वितरण लक्ष्य 12500 कु0 को बढ़ाकर 30000 कु0 किया गया है। परियोजना के शेष घटकों के लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तित लक्ष्यों के अनुसार ₹0-475.00 लाख के अनुमोदन की संस्तुति एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में प्राप्त कर ली गई है। इसके अतिरिक्त पुनरीक्षित कार्ययोजना को एन0एफ0एस0एम0 के कास्ट नार्म्स एवं सब्सिडी पैटर्न के अनुसार वित्त पोषण हेतु भारत सरकार द्वारा भी सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परिवर्तित लक्ष्यों के अनुसार धान बीज का वितरण कराने के निर्देश के साथ पुनरीक्षित परियोजना लागत ₹0-475.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2016-17 के लिए प्रदान किया गया।

II. उ0प्र0 कृषि विविधीकरण :-

i) Crop Diversification Programme in Western U.P.:- समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 18.06.2015 में उपयोजना हेतु वर्ष 2015-16 के लिए ₹0-6806.80 लाख की धनराशि अनुमोदित करते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन का कार्ययोजना के सम्बन्ध में पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। तदनुसार मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन का अनुमोदन पत्रावली पर प्राप्त किया गया है। यूपी डास्प द्वारा

जनपदों की मांग के क्रम में अनुमोदित लक्ष्यों में परिवर्तन करते हुए ₹0-6708.12 लाख के कार्य वर्ष 2015-16 में कराए गए हैं। परिवर्तित लक्ष्यों के अनुसार उपयोजना की प्रगति का विवरण डास्प द्वारा भारत सरकार को भी सूचित किया जा चुका है। परिवर्तित लक्ष्यों के अनुसार कार्योत्तर अनुमोदन की संस्तुति एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में प्रदान कर दी गई। प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि गत वर्ष उपयोजना का क्रियान्वयन एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनानुसार किया गया है, जो कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है। ऐसी स्थिति में एस0एल0एस0सी0 द्वारा उचित कार्यवाही की जाए। इस सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2015-16 हेतु डास्प द्वारा ₹0-136.13 करोड़ की कार्ययोजना भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित की गई, जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा ₹0-135.81 करोड़ की कार्ययोजना अनुमोदित की गई। उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.04.2015 को कोषागार से आहरित ₹0-257.42 लाख की धनराशि डास्प के स्तर पर तथा ₹0-6549.38 लाख की धनराशि राज्य स्तर पर अप्रयुक्त अवशेष के रूप में उपलब्ध थी। इस प्रकार, उपयोजना हेतु कुल ₹0-6806.80 लाख की धनराशि उपलब्ध थी। एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 18.06.2015 में दिए गए निर्णय के अनुसार अप्रयुक्त धनराशि का उपयोग शत-प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में करने तथा ₹0-6806.80 लाख की पुनरीक्षित कार्ययोजना पत्रावली पर प्रस्तुत कर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। तदनुसार यथानिर्देश पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। समिति द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए परिवर्तित लक्ष्यों के अनुसार ₹0-6806.80 लाख की पुनरीक्षित कार्ययोजना का कार्योत्तर अनुमोदन वर्ष 2015-16 के सापेक्ष प्रदान किया गया।

सहकारिता विभाग-

- i) **Construction of godown at PACS:-** समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2014-15 में ₹0-6700.10 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी जिसके सापेक्ष कुल 303 गोदामों का निर्माण कार्य कराया जाना था। सहकारिता विभाग द्वारा ₹0-6600.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये हैं तथा ₹0-100.10 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित हैं। प्रस्तावानुसार फिरोजाबाद, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़ एवं इलाहाबाद जनपदों में प्रस्तावित 06 गोदाम निर्माण के कार्यों के सम्बन्ध में कतिपय कारणों से वाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इन गोदामों के निर्माण पर अब तक ₹0 23.92 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है तथा ₹0 100.10 लाख कार्यदायी संस्था पैक्फेड के स्तर पर उपलब्ध है। एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 05.02.2016 में अवशेष धनराशि का उपयोग पूर्व फण्डिंग पैटर्न (शत-प्रतिशत) के अनुसार करने तथा भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त होने पर नवीन गोदामों के निर्माण का कार्य कराने के निर्देश दिये गये। पुनः एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में प्रदत्त संस्तुति के साथ प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पुनः विस्तृत सूचनायें उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार



की अपेक्षानुसार सूचना उपलब्ध कराने तथा भारत सरकार की सहमति प्राप्त कर उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष नवीन स्थलों पर गोदाम निर्माण कार्य कराने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

III. पी0सी0डी0एफ0-

- i) **By-pass Protein feed plant 100 MT per day at Ambedkar Nagar:-** समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 19.02.2015 में परियोजना हेतु रु0-1840.22 लाख की धनराशि जनपद अम्बेडकर नगर में फीड प्लान्ट की स्थापना हेतु अनुमोदित की गई थी। समिति के अनुमोदन के क्रम में वर्ष 2015-16 में रु0-858.00 लाख की धनराशि पी0सी0डी0एफ0 को उपलब्ध कराई गई, जिसका उपयोग कराते हुए फीड प्लान्ट स्थापना के कार्य निमाणाधीन हैं। एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पी0एफ0ए0डी0 के अनुमोदानुसार परियोजना की लागत रु0-1844.22 लाख हो गई है, जिसका अनुमोदन अपेक्षित है। एस0एल0पी0एस0सी0 द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई है। भारत सरकार द्वारा पूर्व निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधन के प्रस्ताव को सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परियोजना के संबंध में भारत सरकार के पूर्व में निर्गत निर्देश/अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराते हुए पुनरीक्षित परियोजना लागत रु0-1844.22 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
- ii) **Assistance for reprocessing of 55MT skimmed/whole milk powder:-** समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 05.02.2016 में रु0-6.88 लाख की धनराशि परियोजना हेतु अनुमोदित की गई थी। प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास के प्रस्ताव के क्रम में परियोजना के डी-सैंक्शन हेतु एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में संस्तुति प्राप्त की जा चुकी है। प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा भी सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा यथा-प्रस्ताव परियोजना को डी-सैंक्शन करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

5:- वर्ष 2016-17 हेतु नवीन परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन

समिति के समक्ष एजेण्डा-05 के रूप में वर्ष 2016-17 हेतु आर0के0वी0वाई0 हेतु धनराशि की उपलब्धता तथा वर्ष 2016-17 की अद्यतन प्रगति, वर्ष 2015-16 की अपूर्ण/असंतुप्त परियोजनाओं का विवरण तथा कृषि एवं सम्वर्गीय विभागों द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये रु0 36052.90 लाख के परियोजना प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विभागवार/परियोजनावार दिए गए निर्देशों/निर्णयों का विवरण निम्नवत् है :-

- 5.1 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2016 को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के सापेक्ष अप्रयुक्त धनराशि रु0-1856.70 लाख (शत-प्रतिशत केन्द्रांश) तथा वर्ष 2015-16 के



अप्रयुक्त केन्द्रांश रु०-9270.27 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रु०-6180.18 लाख को सम्मिलित करते हुए रु०-15450.45 लाख उपलब्ध है। इस प्रकार, कुल अप्रयुक्त धनराशि के रूप में रु०-173.07 करोड़ की उपलब्धता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के अप्रयुक्त अवशेष रु०-15450.45 लाख का उपयोग वर्ष 2016-17 में कराने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के अप्रयुक्त अवशेष रु०-1856.70 लाख के पुनर्विधीकरण की कार्यवाही भारत सरकार स्तर पर प्रक्रियान्तर्गत है।

उक्त के अतिरिक्त 2016-17 हेतु केन्द्र स्तर से 60:40 के फन्डिंग पैटर्न पर आर०के०वी०वाई०-सामान्य हेतु रु०-55088.00 लाख एवं उपयोजनाओं हेतु रु०-19885.00 लाख कुल रु०-74973.00 लाख का एलोकेशन प्राप्त हुआ है। गत वर्ष के अप्रयुक्त अवशेष को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2016-17 में कुल रु०-92280.00 लाख की उपलब्धता संभावित है।

5.2 वर्ष 2016-17 हेतु रु०-85000.00 लाख का बजट प्राविधान उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास हेतु 25 प्रतिशत धनराशि रु०-21250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृतियों एस०एल०एस०सी० से अनुमोदित परियोजनाओं हेतु निर्गत की जा सकती हैं। विभिन्न विभागों की मांग के क्रम में रु०-10109.37 लाख की वित्तीय स्वीकृतियों के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष अब तक रु०-5997.38 लाख की वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत कर दी गयी हैं। निर्गत स्वीकृतियों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्यों के निष्पादन की कार्यवाही प्रगति पर हैं तथा रु०-302.85 लाख का व्यय भी करा लिया गया है। समिति द्वारा वर्ष 2016-17 की प्रगति का संज्ञान लिया गया तथा निर्देश दिए गए कि वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार 25 प्रतिशत वित्तीय स्वीकृतियों प्राथमिकता पर कार्यदायी विभागों के पक्ष में निर्गत कराई जाए। सम्बन्धित विभाग उपलब्ध धनराशि का उपयोग त्वरित गति से सुनिश्चित करें। समिति द्वारा यह भी अपेक्षा की गई कि वर्ष 2016-17 में केन्द्र स्तर से निर्गत एलोकेशन के सापेक्ष शत-प्रतिशत धनराशि के अवमुक्त कराने की कार्यवाही भी सुनिश्चित कराई जाए।

5.3 समिति के समक्ष वर्ष 2015-16 की रु०-30225.21 लाख की असंतुप्त परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा संज्ञान लेते हुए एस०एल०एस०सी० के पूर्व अनुमोदन तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार परियोजनाओं का वित्त पोषण एवं क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिए गए। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि संबंधित विभाग वांछित प्रक्रिया के अनुसार आँगणन एवं कार्यदायी संस्था के अनुमोदन संबंधी कार्यवाही प्राथमिकता पर पूर्ण कराते हुए वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव नोडल विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नोडल विभाग द्वारा धनराशि की उपलब्धता एवं कार्यों की उपादेयता के अनुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कराने की कार्यवाही की जाए।



5.4 वर्ष 2016-17 हेतु कृषि एवं संवर्गीय विभागों के रू0-35270.03 लाख के प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों पर सम्यक् विचारोंपरान्त दिए गए निर्णय/निर्देशों का विवरण निम्नवत् है :-

I- कृषि विभाग :-

- a. Farm ponds for rain water conservation in Uttar Pradesh परियोजना लागत रू0 4487.45 लाख:- समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0एस0सी0 से पूर्व अनुमोदित परियोजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु अनुमोदित 2000 खेत तालाबों के विरुद्ध अब तक 1125 तालाबों की खुदाई के कार्य प्रगति पर हैं तथा अनुदान की धनराशि कृषकों के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से खेत तालाबों की मांग के दृष्टिगत वर्ष 2016-17 हेतु 4994 लघु एवं 1200 मध्यम खेत तालाबों के निर्माण हेतु रू0-8479.70 लाख की कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें आर0के0वी0वाई0 अंश रू0-4487.45 लाख तथा कृषक अंश के रूप में रू0-3992.25 लाख की धनराशि सम्मिलित है। एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में परियोजना को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा परियोजना को एन0एम0एस0ए0 की गाइड-लाइन के अनुसार सपोर्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त अपेक्षा की गई है कि जो भी जल संरचनाएं सृजित एवं विकसित की जाए, वे पी0एम0के0एस0वाई0 के अम्ब्रेला अन्तर्गत आएंगी। पी0एम0के0एस0वाई0 की गाइड-लाइन के अनुसार इन सभी संरचनाओं को जिला सिंचाई योजना (District Irrigation Plan) एवं राज्य सिंचाई योजना (State Irrigation Plan) में सम्मिलित कराते हुए अनुमोदित कराया जाए। समिति द्वारा सम्यक् विचारोंपरान्त भारत सरकार की अपेक्षानुसार कार्यवाही कराने के निर्देश एवं प्रमुख सचिव, कृषि के सुझाव पर 1300 लघु तालाब एवं 1200 मध्यम खेत तालाब बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा शेष 3564 खेत तालाब प्रदेश के दोहित/अतिदोहित विकास खण्डों में कृषकों के खेतों पर निर्माण कराने हेतु आर0के0वी0वाई0 अंश रू0-4487.45 लाख का वित्त पोषण करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
- b. Demonstration of green manuring for soil health improvement परियोजना लागत रू0 100.00 लाख:- समिति को अवगत कराया गया कि 50 प्रतिशत अनुदान पर 11111 हे0 क्षेत्र में ढ़ैचा हरी खाद के प्रदर्शन के कार्य प्रस्तावित हैं। कार्यक्रम हेतु एन0एम0एस0ए0 के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है। अतिरिक्त धनराशि की मांग होने पर आर0के0वी0वाई0 से रू0-100.00 लाख की आवश्यकता होगी। परियोजना को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में संस्तुति प्राप्त कर ली गई है। इसके अतिरिक्त परियोजना को भारत सरकार द्वारा भी सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोंपरान्त वर्ष 2016-17 हेतु परियोजना लागत रू0-100.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।



- c. **Adoptive Trials/demonstrations of R.A.T.D.S.** परियोजना लागत रू0 75.10 लाख:- समिति को अवगत कराया गया कि कृषि विभाग के 09 क्षेत्रीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्रों पर नवीन तकनीकों एवं फसलों की नवीन प्रजातियों की Adoptive Trials /demonstrations आयोजन तथा विभिन्न प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम हेतु संचालित किये जाने हैं। परियोजना को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में संस्तुति प्राप्त कर ली गई है। इसके अतिरिक्त परियोजना को भारत सरकार द्वारा भी सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2016-17 हेतु परियोजना लागत रू0-75.10 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
- d. **Seed production programme at Govt. Agriculture Farm** परियोजना लागत रू0-1869.23 लाख:- समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश के 164 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर 4360 हे0 क्षेत्र में गेहूँ, जौ, दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु रू0-1869.23 लाख की आवश्यकता है। परियोजना को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में संस्तुति प्राप्त कर ली गई है। भारत सरकार द्वारा परियोजना को NFSM./NMOOP के Assistance/ Subsidy rate के आधार पर सपोर्ट किया गया है। नीति आयोग के प्रतिनिधि डॉ0 जे0पी0 मिश्रा द्वारा इंगित किया गया कि दलहनी एवं तिलहनी फसलों के प्रस्तावित बीज उत्पादन के लक्ष्य न्यूनतम हैं। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तावित बीज उत्पादन के लक्ष्यों का परीक्षण कराने तथा परियोजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के अभिमत/संस्तुति के अनुसार कराने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू0-1869.23 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
- e. **Infrastructure Development for Govt. Agriculture Farms** परियोजना लागत रू0-1718.00 लाख:- परियोजनान्तर्गत प्रदेश के राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर उन्नत कृषि यंत्र, बीज विधायन यंत्र, पूर्व निर्मित सिंचाई नालियों एवं बीज गोदाम आदि के मरम्मत कार्य तथा 11 नवीन बीज गोदाम व 30 विद्युतीकरण सहित नलकूपों की स्थापना संबंधी कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। परियोजना को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में संस्तुति प्राप्त कर ली गई है। भारत सरकार द्वारा परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को SMSP/PWD/CPWD के नाम्स के आधार पर वित्तपोषण हेतु सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परियोजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के अभिमत/संस्तुति के अनुसार कराने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू0-1718.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
- f. **Bringing Green Revolution in Eastern India (BGREI)** कार्ययोजना लागत रू0-13583.00 लाख:- समिति को अवगत कराया गया कि आर0के0वी0वाई0 के अन्तर्गत पूर्वी



उत्तर प्रदेश के 14 जनपदों में संचालित बी0जी0आर0ई0आई0 उपयोजना हेतु वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार द्वारा रू0-13583.00 लाख का एलोकेशन निर्गत किया गया है। उपयोजना की वार्षिक कार्ययोजना लागत रू0-13583.00 लाख को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति प्राप्त कर ली गयी है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 26.05.2016 के द्वारा रू0-13014.38 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गई है तथा Community Farm Storage Building घटक (रू0-568.62 लाख) के संबंध में निर्देश दिए गए कि राज्य द्वारा विस्तृत आगणन तथा गोदामों के निर्माण स्थल आदि का विवरण भारत सरकार के अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराया जाए। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार की अपेक्षानुसार गोदाम निर्माण कार्यों के आगणन एवं निर्माण स्थलों का विवरण प्रेषित करते हुए स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश के साथ उपयोजना हेतु वर्ष 2016-17 के लिए रू0-13014.38 लाख की कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया।

g. Bringing Green Revolution in Eastern India परियोजना लागत रू0-1178.21 लाख:-समिति को अवगत कराया गया कि आर0के0वी0वाई0 की बी0जी0आर0ई0आई0 उपयोजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2016 को रू0-1178.21 लाख (राज्यांश सहित) अप्रयुक्त रही है। अप्रयुक्त धनराशि के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 05.05.2016 के द्वारा रू0-1178.21 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा कार्यों के निष्पादन की कार्यवाही प्रगति पर है। प्रस्तावित कार्यों का विवरण समिति के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है, जिसके सम्बन्ध में एस0एल0पी0एस0सी0 की संस्तुति दिनांक 20.05.2016 में प्राप्त की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा कृषि रक्षा रसायनों का उपयोग सी0आई0बी0 एण्ड आर0सी0 द्वारा अनुमोदन के अनुसार एवं उनका क्रय वित्तीय एवं क्रय नियमों के अनुसार करने तथा बीज उत्पादन तथा वितरण कार्यों के सम्बन्ध में क्राप डिवीजन भारत सरकार का अभिमत प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। समिति द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार कार्यवाही कराते हुए प्रस्तावित कार्यों का निष्पादन कराने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

II- राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा :-

a- Foundation training programme for technical assistant परियोजना लागत रू0 282.32 लाख:- समिति को अवगत कराया गया कि कृषि विभाग में नवनियुक्त लगभग 6000 तकनीकी सहायकों के आधारीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सीमा, रहमानखेड़ा एवं प्रदेश के अन्य कृषि विद्यालयों पर आयोजित कराए जाने हैं, जिनके लिए रू0-282.32 लाख की आवश्यकता है। परियोजना को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में संस्तुति प्राप्त कर ली गई है। भारत सरकार द्वारा परियोजना को आत्मा के कास्ट नार्म्स के आधार पर सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक्



विचारोपरान्त वर्ष 2016-17 के लिए परियोजना लागत रू0-282.32 लाख का वित्त पोषण भारत सरकार के अभिमत के अनुसार करने के निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

III- उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था :-

- a- Certified Seed Production-cum-organic certification training programme परियोजना लागत रू0 121.48 लाख:- समिति को अवगत कराया गया कि संस्था द्वारा सीमा, रहमानखेड़ा के माध्यम से 05 दिवसीय 40 कृषक प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराए जाने हैं। प्रति प्रशिक्षण सत्र 50 कृषक प्रतिभागी होंगे। इस प्रकार, कुल 2000 कृषकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में परियोजना लागत रू0-121.48 लाख को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति प्राप्त कर ली गई है। भारत सरकार द्वारा परियोजना को आत्मा के कास्ट नार्म्स के आधार पर सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2016-17 के लिए परियोजना लागत रू0-121.48 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
- b- Strengthening of Seed testing laboratories at Kanpur Part-2 परियोजना लागत रू0-30.00 लाख:- समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 03.07.2012 में अनुमोदित परियोजना लागत रू0-151.16 लाख के अन्तर्गत कानपुर प्रयोगशाला के निर्माण कार्यों हेतु रू0-35.03 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई थी। समिति के अनुमोदनानुसार सम्पूर्ण धनराशि बीज प्रमाणीकरण संस्था को उपलब्ध कराई जा चुकी है। संस्था द्वारा रू0-35.03 लाख के सापेक्ष प्रस्तावित निर्माण कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं। वर्तमान में संस्था द्वारा आंतरिक विद्युतीकरण, इन्टरलॉकिंग टाइल्स, फर्नीचर, एल्यूमिनियम के दरवाजे/खिड़की आदि कार्यों हेतु रू0-30.00 लाख की अतिरिक्त मांग की गई है। एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में प्रस्ताव लागत रू0-30.00 लाख को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यों को एस0एम0एस0पी0 के कास्ट नार्म्स के आधार पर सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्य कराने के निर्देश के साथ कानपुर प्रयोगशाला के प्रस्तावित अतिरिक्त कार्यों हेतु धनराशि रू0-30.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
- c- Strengthening of Seed testing laboratories at Lucknow additional परियोजना लागत रू0-63.31 लाख:- समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 03.07.2012 में अनुमोदित परियोजना लागत रू0-151.16 लाख के अन्तर्गत लखनऊ में पूर्व निर्मित प्रयोगशाला की छत पर निर्माण कार्यों हेतु रू0-36.21 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई थी। समिति के अनुमोदनानुसार सम्पूर्ण धनराशि बीज प्रमाणीकरण संस्था को उपलब्ध कराई जा चुकी है। पूर्व निर्मित भवन की स्थिति कमजोर होने के कारण छत पर



निर्माण कार्य कराए जाने संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रयोगशाला का निर्माण अब नवीन स्थल पर कराया जाना है। वर्तमान में संस्था द्वारा प्रयोगशाला के निर्माण हेतु रू०-९९.५२ लाख के आगणन प्रस्तुत करते हुए अतिरिक्त धनराशि रू०-६३.३१ लाख की मांग की गई है। एस०एल०पी०एस०सी० की बैठक दिनांक २०.०५.२०१६ में प्रस्ताव लागत रू०-६३.३१ लाख को एस०एल०एस०सी० के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति प्राप्त कर ली गई है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यों को एस०एम०एस०पी० के कास्ट नार्म्स के आधार पर सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्य कराने के निर्देश के साथ वर्ष २०१६-१७ के लिए लखनऊ प्रयोगशाला के नवीन निर्माण हेतु आवश्यक अतिरिक्त धनराशि के प्रस्ताव लागत रू०-६३.३१ लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

IV-गन्ना विभाग :-

- a- Enhancing sugarcane production in U.P. परियोजना लागत रू०-१९२९.३० लाख:-समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश के ४४ गन्ना उत्पादक जनपदों में ४००० हेक्टेयर क्षेत्र में प्रदर्शन, कृषि यंत्र, सूक्ष्म पोषक तत्व, किसान मेला, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त २२०० हेक्टेयर क्षेत्रफल में टपक सिंचाई प्रणाली (Drip Irrigation) के प्रदर्शन ५० प्रतिशत अनुदान पर आयोजित कराए जाने हैं। एस०एल०पी०एस०सी० की बैठक दिनांक २०.०५.२०१६ में परियोजना को एस०एल०एस०सी० के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई है। भारत सरकार द्वारा परियोजना को एन०एफ०एस०एम० एवं आत्मा के नार्म्स पर सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार के अभिमत/संस्तुति "एन०एफ०एस०एम० एवं आत्मा के नार्म्स" पर क्रियान्वयन कराने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू० १९२९.३० लाख का अनुमोदन वर्ष २०१६-१७ के लिए प्रदान किया गया।
- b- High quality sugarcane breeder seed, foundation seed and primary seed production and distribution programme परियोजना लागत रू०-१५९१.०० लाख:-समिति के समक्ष परियोजनान्तर्गत अभिजनक गन्ना बीज उत्पादन, आधारीय पौधशाला एवं प्राथमिक पौधशाला उत्पादन के प्रस्तावित कार्यों हेतु रू०-१५९१.०० लाख की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी। एस०एल०पी०एस०सी० की बैठक दिनांक २०.०५.२०१६ में परियोजना को एस०एल०एस०सी० के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई है। भारत सरकार द्वारा परियोजना को एन०एफ०एस०एम०-सी०सी० के अन्तर्गत प्रचलित Assistance/Subsidy के कास्ट नार्म्स पर सपोर्ट किया गया है। साथ ही १५ वर्ष से कम आयु की गन्ना प्रजातियों को ही प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये गये हैं। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार के अभिमत/संस्तुति "एन०एफ०एस०एम० के नार्म्स" के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन



कराने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू0-1591.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2016-17 के लिए प्रदान किया गया।

V- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग :-

a- Horticulture development for 30 Non-NHM districts-Production परियोजना लागत रू0-1510.61 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश के 30 नॉन एन0एच0एम0 जनपदों में सब्जियों के बीज उत्पादन, नवीन बागवानी विकास, पुष्प एवं मसालों के क्षेत्र विस्तार आदि कार्यक्रमों हेतु रू0-1510.61 लाख की आवश्यकता है। एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में परियोजना को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई है। भारत सरकार द्वारा परियोजना को एम0आई0डी0एच0 के नार्म्स पर सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार के अभिमत/संस्तुति एम0आई0डी0एच0 के नार्म्स के अनुसार क्रियान्वयन कराने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू0-1510.61 लाख का अनुमोदन वर्ष 2016-17 के लिए प्रदान किया गया।

b- Nursery seedling raising in low tunnel polynet and production of high value vegetables परियोजना लागत रू0-1000.00 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उच्च गुणवत्ता युक्त शंकर पातगोभी, मिर्च, टमाटर एवं कद्दूवर्गीय सब्जियों की खेती के कार्यक्रमों हेतु रू0-1000.00 लाख की आवश्यकता है। एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में परियोजना को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति इस निर्देश के साथ की गयी है कि परियोजना की उपादेयता का परीक्षण प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग से करा लिया जाए। तदक्रम में प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग के स्तर पर परियोजना का परीक्षण कर लिया गया है। भारत सरकार द्वारा परियोजना को एम0आई0डी0एच0 के कास्ट नार्म्स पर इस निर्देश के साथ सपोर्ट किया गया है कि प्रदेश स्तर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों की द्विरावृत्ति अन्य स्कीमों के साथ न हो। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी है कि जनपदवार प्रस्तावित लक्ष्यों (average and vegetable grown) तथा मौसम के अनुसार बोआई के समय का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जाए। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार के अभिमत/संस्तुति के अनुसार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू0-1000.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2016-17 के लिए प्रदान किया गया।



VI-रेशम विभाग :-

- a- Extension of silk production in potential selected districts of Tarai region in the State परियोजना लागत रू0-112.00 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि रेशम विभाग की परियोजना को एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु संस्तुत किया गया है। परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अन्तर्गत समान कार्य सम्मिलित हैं, इसलिए परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के साथ अंशछादन/द्विरावृत्ति की सम्भावना है। अतः परियोजना को भारत सरकार द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया है। समिति द्वारा भारत सरकार के अभिमत का संज्ञान लेते हुए परियोजना को अनुमोदित नहीं किया गया।

VII-पशुपालन विभाग :-

- a- Eradication of Anna Pratha in Bundelkhand region-II phase परियोजना लागत रू0-407.08 लाख:- समिति को अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड के 05 जनपदों यथा-हमीरपुर, महोबा, बाँदा, जालौन एवं ललितपुर में एक समस्या के रूप में प्रचलित अन्ना-प्रथा (गर्मी के मौसम में पशुओं को खुला छोड़ देना) के उन्मूलन हेतु नर पशुओं का बधियाकरण, उन्नत प्रजाति के साड़ों को पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराना, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/पैरावैट/बायफ के माध्यम से प्रजातीय विकास तथा चारा बीजों की उपलब्धता के कार्यक्रमों हेतु रू0-407.08 लाख की आवश्यकता है। एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में भारत सरकार के अभिमत के अनुसार परियोजना के अनुमोदन की संस्तुति की गयी है। भारत सरकार द्वारा परियोजनान्तर्ग प्रस्तावित उन्नत प्रजाति के पशुओं के क्रय हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0-64.77 लाख के सापेक्ष रू0-35.30 लाख की संस्तुति करते हुए इंगित किया गया है कि प्रदेश द्वारा साड़ों के क्रय हेतु उच्चतम दरें प्रस्तावित की गयी है। इसके अतिरिक्त इंगित किया गया है कि कार्यदायी संस्था द्वारा ट्रेडर से साड़ों का क्रय अनुमन्य नहीं किया जा सकता है, अतः साड़ों का क्रय HLDB/CCBF/PLDB/ CHRS, Rohtak आदि से किया जाए। भारत सरकार द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि कृषकों को चारों के बीजों की उपलब्धता कराने हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0-59.13 लाख के सम्बन्ध में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का अभिमत प्राप्त कर लिया जाए। प्रमुख सचिव पशुपालन द्वारा इंगित किया गया कि भारत सरकार द्वारा संस्तुत धनराशि/नामर्स पर उन्नत साड़ों का क्रय किया जाना सम्भव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उन्नतशील साड़ों के क्रय हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0-64.77 लाख का अनुमोदन समिति से अपेक्षित है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त साड़ों के क्रय हेतु रू0-64.77 लाख की संस्तुति की गयी एवं चारों के बीजों के सम्बन्ध में भारत सरकार का अभिमत प्राप्त करने के



निर्देश के साथ रू0-407.08 लाख का अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि गतिविधिवार भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों का परिपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाये।

b- Strengthening and modernization of Govt. Livestock farm at Niblet, Barabanki परियोजना लागत रू0-752.79 लाख:- समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 19.02.2015 में निबलेट फार्म के विकास रू0-262.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी थी। पशुपालन विभाग द्वारा पूर्व अनुमोदित परियोजना को डी-सेक्शन कराने के प्रस्ताव के साथ पुनरीक्षित कार्ययोजना लागत रू0-752.79 लाख प्रस्तावित की गयी है। एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में पूर्व अनुमोदित परियोजना लागत रू0-262.00 लाख के डी-सेक्शन तथा पुनरीक्षित कार्ययोजना लागत रू0-752.79 लाख के अनुमोदन की संस्तुति की गयी है। भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि परियोजना के सम्बन्ध में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का अभिमत प्राप्त कर लिया जाए। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का अभिमत पशुपालन विभाग उ0प्र0 द्वारा प्राप्त करने तथा तदनुसार वित्त पोषण करने के निर्देश के साथ पूर्व अनुमोदित परियोजना लागत रू0-262.00 लाख का डी-सेक्शन तथा पुनरीक्षित कार्ययोजना लागत रू0-752.79 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

c- Strengthening and modernization of Govt. Livestock farm at Majhera, Lakhimpur Kheri परियोजना लागत रू0-1863.29 लाख:- समिति को अवगत कराया कि मंझरा, लखीमपुर खीरी पशुधन प्रक्षेत्र के विकास कार्यो हेतु पशुपालन विभाग द्वारा परियोजना लागत रू0-1863.29 लाख प्रस्तावित की गयी है। यद्यपि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में परियोजना को संस्तुत किया गया है। परन्तु परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रक्षेत्र कार्मिकों के पूर्व निर्मित आवासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं नवीन भवन के निर्माण कार्य, प्रशासनिक भवन के पुनरोद्धार तथा अथिति गृह निर्माण आदि रू0-261.28 लाख की लागत के कार्य आर0के0वी0वाई0 की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है। भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि परियोजना के सम्बन्ध में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का अभिमत प्राप्त करना अपेक्षित है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का अभिमत पशुपालन विभाग उ0प्र0 द्वारा प्राप्त करने एवं तदनुसार वित्त पोषण के निर्देश के साथ कार्ययोजना लागत रू0-1602.01 लाख (02 वर्ष के लिए) एवं वर्ष 2016-17 के लिए रू0-1000.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।



d- Strengthening and modernization of Govt. Livestock farm at Neelgaon, Sitapur परियोजना लागत रू0-2226.74 लाख:- समिति को अवगत कराया कि नीलगॉव सीतापुर पशुधन प्रक्षेत्र के विकास कार्यो हेतु पशुपालन विभाग द्वारा परियोजना लागत रू0-2226.74 लाख प्रस्तावित की गयी है। यद्यपि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में परियोजना को संस्तुत किया गया है। परन्तु परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रक्षेत्र कार्मिकों के पूर्व निर्मित आवसीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं नवीन भवन के निर्माण कार्य, प्रशासनिक भवन के पुनरोद्धार तथा अथिति गृह निर्माण लागत रू0-156.66 लाख के कार्य आर0के0वी0वाई0 की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है। भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि परियोजना के सम्बन्ध में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का अभिमत अपेक्षित है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का अभिमत पशुपालन विभाग उ0प्र0 द्वारा प्राप्त करने एवं तदनुसार वित्त पोषण के निर्देश के साथ कार्ययोजना लागत रू0-2070.08 लाख (02 वर्ष के लिए) एवं वर्ष 2016-17 के लिए रू0-1000.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

e- Glanders and Farcy disease surveillance scheme परियोजना लागत रू0-180.00 लाख:- समिति को अवगत कराया कि प्रदेश में गधा, खच्चर एवं घोड़ों में ग्लैन्डर एवं फारसी रोग का प्रकोप होता है, जिसका संक्रमण मनुष्यों में भी हो सकता है। पशुपालन विभाग के प्रस्ताव रू0-1146.53 लाख (दो वर्ष) के सापेक्ष एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में परियोजनातर्गत प्रस्तावित यात्रा भत्ता व्यय, वाहन वीडियो कॉन्फेन्स स्टूडियों की स्थापना एवं अन्य सुविधाओं हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 657.50 लाख को कम करते हुए पशुचिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार एवं अन्य आवश्यक कार्यो हेतु वर्ष 2016-17 के लिए रू0-180.00 लाख की संस्तुति एस0एल0एस0सी0 के अनुमोनार्थ की गयी है। भारत सरकार द्वारा कार्यो की द्विरावृति/अंशछादन न करने की संस्तुति के साथ प्रस्ताव को सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार के अभिमत के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन कराने के निर्देश के साथ वर्ष 2016-17 के लिए परियोजना लागत रू0-180.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

VIII- कृषि विविधिकरण परियोजना :-

a- Climate resilient, less water consuming high value multi crops value chain development in Bundelkhand and Mirzapur region परियोजना लागत रू0-2256.25 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 एवं बिंध्य क्षेत्र के 02 जनपदों में लेमन ग्रास, पामारोजा, अश्वगन्धा, तुलसी, स्टीविया, कुनोआ, चिया एवं रागी



आदि के 9000 हे० क्षेत्र में प्रदर्शन तथा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशनस के गठन आदि कार्य हेतु रू०-2256.25 लाख की आवश्यकता है। एस०एल०पी०एस०सी० की बैठक दिनांक 22.05.2016 में परियोजना को एस०एल०एस०सी० के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। भारत सरकार द्वारा प्रदर्शनों को एम०आई०डी०एच० की गाइड लाइन्स तथा आत्मा एवं एन०एफ०एस०एम० के कास्ट नार्म्स के अनुसार परियोजना हेतु रू०-1350.00 लाख के प्रदर्शनों का समर्थन किया गया। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कॉप्स डिवीजन द्वारा रागी के प्रदर्शनों हेतु रू०-5000 प्रति हे० की संस्तुति की गयी है, साथ ही यह भी इंगित किया गया है कि प्रदर्शन की दरें प्रदेश द्वारा अधिकतम प्रस्तावित की गयी है। कुनोआ एवं चीया के सम्बन्ध में आई०सी०ए०आर०, नई दिल्ली का अभिमत प्राप्त करने के अपेक्षा की गयी है। बैठक में प्रमुख सचिव, समन्वय/परियोजना समन्वयक यू०पी० डास्प द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि बुन्देलखण्ड एवं बिन्ध्य क्षेत्र के 09 जनपदों में परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रदर्शनों के साथ-साथ एफ०पी०ओ० गठन, विधायन सम्बन्धी इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्रेता एवं विक्रेता समागम, ऐग्री बिजनेस सेवाएँ, प्रशिक्षण, पानी पंचायत तथा एफ०पी०ओ० हेतु मृदा परीक्षण सुविधाएँ एक पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा भी मूल्य सवर्धन आधारित समेकित प्रस्तावित परियोजना का समर्थन किया गया। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रदर्शनों का अनुमोदन प्रदान करते हुए अन्य गतिविधियों/घटकों के सम्बन्ध में भारत सरकार का अभिमत प्राप्त करने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू०-2256.25 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

IX- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर :-

- a- Organic farming technology dissemination and diffusion on vegetable growers fields परियोजना लागत रू०-82.00 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि एस०एल०पी०एस०सी० की बैठक दिनांक 20.05.2016 में एस०एल०एस०सी० के अनुमोदनार्थ प्रदत्त संस्तुति के क्रम में विश्वविद्यालय की परियोजना प्रस्तुत की गयी है। भारत सरकार द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में इंगित किया गया है कि राज्य द्वारा आई०सी०ए०आर० नई दिल्ली का अभिमत प्राप्त करते हुए आगामी एस०एल०एस०सी० की बैठक में प्रस्तुत किया जाए। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार की अपेक्षानुसार कार्यवाही कराते हुए परियोजना को आगामी एस०एल०एस०सी० की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
- b- Farmers empowerment for high harvest of pulses in central plain zone of U.P. through participatory approach परियोजना लागत रू० 18.86 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि एस०एल०पी०एस०सी० की बैठक दिनांक 20.05.2016 में एस०एल०एस०सी० के



अनुमोदनार्थ प्रदत्त संस्तुति के क्रम में विश्वविद्यालय की परियोजना को प्रस्तुत की गयी है। परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि राज्य द्वारा आई०सी०ए०आर० का अभिमत प्राप्त करते हुए आगामी एस०एल०एस०सी० की बैठक में प्रस्तुत किया जाए। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार की अपेक्षानुसार कार्यवाही कराते हुए परियोजना को आगामी एस०एल०एस०सी० की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

- c- **Participatory vegetable quality seed production to enhance vegetable production in U.P.** परियोजना लागत रू० 41.00 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि एस०एल०पी०एस०सी० की बैठक दिनांक 20.05.2016 में प्रदत्त संस्तुति के क्रम में विश्वविद्यालय की परियोजना को समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार द्वारा परियोजना को एम०आई०डी०एच० के कास्ट नार्म्स पर सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार के अभिमत "एम०आई०डी०एच० के कास्ट नार्म्स" के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन कराने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू० 41.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2016-17 के लिए प्रदान किया गया।

X- **नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद :-**

- a- **Improving keeping quality of aromatic rice (Kalanamak and improved Basmati) through mutagenesis and its evaluation through biotechnological tools** परियोजना लागत रू० 17.00 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि एस०एल०पी०एस०सी० की बैठक दिनांक 20.05.2016 में प्रदत्त संस्तुति के क्रम में विश्वविद्यालय की परियोजना को समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि राज्य द्वारा आई०सी०ए०आर० का अभिमत प्राप्त करते हुए आगामी एस०एल०एस०सी० की बैठक में प्रस्तुत किया जाए। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार की अपेक्षानुसार कार्यवाही कराते हुए परियोजना को आगामी एस०एल०एस०सी० की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

XI- **सैम हिगिन बाटम इन्सटीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टैक्नॉलाजी एण्ड साइन्सेज, इलाहबाद :-**

- a- **Breeder seed production programme** परियोजना लागत रू० 105.86 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि एस०एल०पी०एस०सी० की बैठक दिनांक 20.05.2016 में प्रदत्त संस्तुति के क्रम में विश्वविद्यालय की परियोजना को प्रस्तुत किया गया है। परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि राज्य द्वारा आई०सी०ए०आर० का अभिमत प्राप्त करते हुए आगामी एस०एल०एस०सी० की बैठक में प्रस्तुत किया जाए। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार की अपेक्षानुसार कार्यवाही कराते हुए परियोजना को आगामी एस०एल०एस०सी० की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।



XII- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, :-

- a- Technology dissemination of low cost, user friendly improved farms techniques/ implements in Eastern U.P. परियोजना लागत रू0 11.00 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में प्रदत्त संस्तुति के क्रम में विश्वविद्यालय की परियोजना प्रस्तुत की गयी है। परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि राज्य द्वारा आई0सी0ए0आर0 का अभिमत प्राप्त करते हुए आगामी एस0एल0एस0सी0 की बैठक में प्रस्तुत किया जाए। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार की अपेक्षानुसार कार्यवाही कराते हुए परियोजना को आगामी एस0एल0एस0सी0 की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

XIII- राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ :-

- a- Equipping with microbial bioconversion technologies for rural livelihood security through low-cost farm input production परियोजना लागत रू0 15.00 लाख:- समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में परियोजना के सम्बन्ध में डा0पी0एस0 ओझा, राज्य समन्वयक, राज्य जैव ऊर्जा बोर्ड, उ0प्र0 के अभिमत के साथ एस0एल0एस0सी0 के सक्षम प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। डा0 ओझा द्वारा बायो गैस प्लाण्ट के अपशिष्ट को जैव उर्वरक उत्पादन हेतु उपयोग में लाने हेतु सुझाव दिया गया है। परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि राज्य द्वारा आई0सी0ए0आर0 का अभिमत प्राप्त करते हुए आगामी एस0एल0एस0सी0 की बैठक में प्रस्तुत किया जाए। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार की अपेक्षानुसार कार्यवाही कराते हुए परियोजना को आगामी एस0एल0एस0सी0 की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त विवरण के अनुसार विभागवार वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

धनराशि रू0 लाख में

S.N.	Department/ Name of project	Stream	Duration	Proposed cost	SLSC approved cost for 2016-17
I	Agriculture				
1	Farm pond for rain water conservation in U.P.	I	1	4487.45	4487.45
2	Demonstration of green manuring for soil health improvement	P	1	100.00	100.00
3	Adoptive trials/ demonstrations of RATDS	P	1	75.10	75.10
4	Seed production programme at Govt. Agriculture Farms	P	1	1869.23	1869.23
5	Infrastructure development for Govt. Agriculture farms	I	1	1718.00	1718.00
6	Bringing Green revolution in Eastern U.P.	S	1	13014.38	13014.38



S.N.	Department/ Name of project	Stream	Duration	Proposed cost	SLSC approved cost for 2016-17
Sub total				21264.16	21264.16
II	SIMA, Rehmankhera				
7	Foundation training programme for Technical Assistant	P	1	282.32	282.32
III	UP Seed Certification Agency				
8	Certified seed production cum organic certification training programme	P	1	121.48	121.48
9	Strengthening of Seed testing laboratory at Kanpur- Part 2	I	1	30.00	30.00
10	Strengthening of Seed testing laboratory at Lucknow - Additional	I	1	63.31	63.31
Sub total				214.79	214.79
IV	Sugarcane				
11	Enhancing sugarcane production in U.P.	P	1	1929.30	1929.30
12	High quality sugarcane breeder seed, foundation seed and primary seed production and distribution programme	P	1	1591.00	1591.00
Sub total				3520.30	3520.30
V	Horticulture				
13	Horticulture development for 30 Non-NHM districts-Production	P	1	1510.61	1510.61
14	Nursery seedling raising in low tunnel polynet and production of high value vegetables	P	1	1000.00	1000.00
Sub total				2510.61	2510.61
VII	Animal Husbandry				
15	Eradication of Anna Pratha in Bundelkhand region-II phase	P	1	407.08	407.08
16	Strengthening and modernization of Govt. Livestock farm at Niblet, Barabanki	I	1	752.79	752.79
17	Strengthening and modernization of Govt. Livestock farm at Majhera, Lakhimpur Kheri	I	2	1602.41	1000.00
18	Strengthening and modernization of Govt. Livestock farm at Neelgaon, Sitapur	I	2	2070.08	1000.00
19	Glanders and Farcy disease surveillance scheme	P	1	180.00	180.00
Sub total				5012.36	3339.87
VIII	DASP				
20	Climate resilient, less water consuming high value multi crops value chain development in Bundelkhand and Mirzapur region	P	1	2200.00	2256.25
IX	CSAUAT, Kanpur				
21	Participatory vegetable quality seed production to enhance vegetable production in U.P.	P	1	41.00	41.00
Sub total				41.00	41.00
Production and growth		P		11307.12	11363.37



S.N.	Department/ Name of project	Stream	Duration	Proposed cost	SLSC approved cost for 2016-17
	Infrastructure and assets	I		10724.04	9051.55
	Normal RKVY			22448.70	20414.92
	Administrative			224.49	204.15
	Sub-Scheme	S		13014.38	13014.38
	Total			35270.03	33633.45

6:- अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से :-

समिति के समक्ष एजेण्डा-06 के रूप में वर्ष 2016-17 हेतु काप डायवर्सिफिकेशन प्रोग्राम उपयोजना लागत रु0 6113.68 लाख, आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में संचालित परियोजनाओं के थर्ड पार्टी मूल्यांकन हेतु संस्था चयन एवं दरों का अनुमोदन, आत्मा योजना की वर्ष 2016-17 हेतु वार्षिक कार्ययोजना लागत रु0 15690.74 लाख एवं पशुपालन विभाग की ब्रायलर वर्ड कीपिंग योजना लागत रु0 4320.00 लाख तथा वर्ष 2016-17 में मौसम की विपरीत स्थितियों में आकस्मिक योजनाओं हेतु धनराशि मात्राकरण के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। समिति द्वारा विचारोपरान्त दिए गए निर्णय एवं निर्देशों का विवरण निम्नवत् है :-

1. कृषि विविधीकरण परियोजना :-

a- Crop Diversification Program in Western U.P कार्ययोजना लागत रु0 6113.68 लाख :- समिति के समक्ष आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत डास्प द्वारा संचालित काप डायवर्सिफिकेशन प्रोग्राम उपयोजना हेतु रु0 6113.68 लाख की वार्षिक कार्ययोजना अतिरिक्त एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्र स्तर से रु0 6015.00 लाख का एलोकेशन निर्गत किया गया है, जिसके सापेक्ष डास्प द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना लागत रु0 6113.68 लाख को निदेशालय के पत्र दिनांक 24.05.2016 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है। तदक्रम में भारत सरकार का अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपयोजना की वर्ष 2016-17 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना लागत रु0 6113.68 लाख का अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि उपयोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार का अभिमत/स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

2. कृषि विभाग :-

a- Approval of proposal for third party evaluation of RKVY समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 18.06.2015 में आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में संचालित परियोजनाओं के स्वतंत्र थर्ड पार्टी मूल्यांकन हेतु समरूप प्रक्रिया एवं दरें निर्धारण करने हेतु प्रमुख सचिव, कृषि की अध्यक्षता में गठित कमेटी की



बैठक दिनांक 30.05.2016 में गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ एवं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली की दरें अनुमोदनार्थ संस्तुत की गई हैं। प्रस्तावित दरों का विवरण निम्नवत् है :-

धनराशि रु0 लाख में

Evaluating agency	2013-14		2014-15		Total	
	No. of projects	Evaluation cost	No. of projects	Evaluation cost	No. of projects	Evaluation cost
I	2	3	4	5	6	7
NPC, New Delhi	21	136.50	19	78.00	40	214.50
GIRI Institute, Lucknow	5	14.00	4	12.00	9	26.00
Total	26	150.50	23	90.00	49	240.50

समिति द्वारा यथा-प्रस्ताव उक्त तालिका के कालम नं०-6 में उल्लिखित 41 परियोजनाएं एवं कालम नं०-7 में इंगित धनराशि रु0 214.50 लाख के मूल्यांकन कार्य राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली एवं कालम नं०-6 में उल्लिखित 09 परियोजनाएं एवं कालम नं०-7 में इंगित धनराशि रु0 26.00 लाख के मूल्यांकन कार्य गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ से परियोजनाओं का थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त आर०के०वी०वाई० की BGREI उपयोगना का थर्ड पार्टी मूल्यांकन राज्य नियोजन संस्थान से कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही संस्थाओं की मांग के क्रम में नियमानुसार सर्विस टैक्स आदि का भुगतान भी अनुमन्य किया गया।

- b. State extension work plan for for 2016-17 under centrally sponsored scheme 'support to state extension programmes for extension reforms' of uttar Pradesh** कार्ययोजना लागत रु0 15690.74 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.04.2016 के द्वारा रु0 10291.05 लाख का अनन्तिम एलोकेशन निर्गत किया गया है। भारत सरकार द्वारा State Extension Work Plan (SEWP) का आर०के०वी०वाई० की गठित एस०एल०एस०सी० से अनुमोदन कराने की अपेक्षा की गई है। प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार एस०ई०डब्ल्यू०पी० लागत रु0 15690.74 लाख समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की गयी है। बैठक में उप राज्य नोडल अधिकारी, आत्मा, उ०प्र०/अपर कृषि निदेशक, प्रसार द्वारा समिति से अनुरोध किया गया है कि आत्मा अन्तर्गत ग्रांट-11 में उपलब्ध धनराशि से सामान्य जाति के सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के मानदेय तथा ग्रांट-83 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के मानदेय भुगतान की स्वीकृति भी प्रदान कर दी जाए। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अपर कृषि निदेशक, प्रसार के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए वर्ष 2016-17 हेतु SEWP लागत रु0 15690.74 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।



3. पशुपालन विभाग :-

a- Commercial Broilers Farming Scheme परियोजना लागत रु0 4320.00 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि पशुपालन विभाग द्वारा एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2016 में रु0 225.00 लाख की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई, जिसके अन्तर्गत 550 ब्रायलर्स की यूनिटें स्थापित की जानी थी। एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक में हुए विचार-विमर्श के क्रम में 1500 ब्रायलर्स की यूनिटों की स्थापना को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित कार्ययोजना एस0एल0एस0सी0 के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई। तदक्रम में पशुपालन विभाग के पत्र दिनांक 07.06.2016 के द्वारा Commercial Broilers Farming Scheme परियोजना लागत रु0 4320.00 लाख (04 वर्षों के लिए) वर्ष 2016-17 हेतु रु0 1080.00 लाख की कार्ययोजना उपलब्ध कराई गई है। कार्ययोजना विलम्ब से प्राप्त होने के कारण भारत सरकार का अभिमत/स्वीकृति प्राप्त नहीं किया जा सका है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तावित कार्ययोजना भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त अभिमत के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन/ वित्तपोषण कराने के निर्देश के साथ कार्ययोजना लागत रु0 4320.00 लाख (04 वर्षों के लिए) एवं वर्ष 2016-17 हेतु रु 1080.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. अन्य विषय :- समिति को अवगत कराया गया कि केन्द्रीय सूखा राहत आयुक्त, नई दिल्ली के अ0शा0पत्र दिनांक 25.04.2016 के द्वारा मौसम की विपरीत स्थितियों में आकस्मिक योजनाओं हेतु 05 से 10 प्रतिशत धनराशि राज्य स्तर पर उपलब्ध आर0के0वी0वाई0 की निधियों से मात्राकृत रखने की अपेक्षा की गई है। तदक्रम में समिति के निर्देश अपेक्षित हैं। समिति के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मौसम की विपरीत स्थितियों में आकस्मिक योजनाओं हेतु रु0 500.00 लाख की धनराशि मात्राकृत रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-3


संख्या - 092/12-3-2016-199/2007

लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2016

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सलाहकार, कृषि, केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार, योजना भवन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

9. प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
11. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
12. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
13. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
14. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
15. प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
16. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
17. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
18. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
19. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
20. प्रमुख सचिव, रेशम विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
21. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
22. निबन्धक, सहकारी समितियों, उ०प्र० लखनऊ।
23. परियोजना समन्वयक, कृषि विविधीकरण परियोजना उ०प्र० लखनऊ।
24. महानिदेशक, उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
25. कुलपति, नरेन्द्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
26. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
27. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।
28. कुलपति, सैम हिगिनबाटम इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर एण्ड साइंसेज इलाहाबाद।
29. कुलपति, पं० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान वि०वि० एवं गौ अनु० संस्थान, मथुरा।
30. कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
31. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
32. निदेशक, कृषि विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
33. निदेशक, बीज प्रमाणीकरण, संस्था उ०प्र०, लखनऊ।
34. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
35. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
36. निदेशक, मत्स्य विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
37. निदेशक, रेशम विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
38. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
39. निदेशक, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो, मऊ।
40. कार्यकारी निदेशक, पशुधन विकास परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
41. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ०प्र० शासन, लखनऊ।
42. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त उ०प्र० शासन, लखनऊ।
43. प्रमुख अनियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
44. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
45. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० बीज विकास निगम, लखनऊ।
46. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम, लखनऊ।
47. प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०डी०ए०, लखनऊ।
48. नोडल अधिकारी रा.कृ.वि.यो., उ.प्र. कृषि भवन, लखनऊ।
49. गार्ड फाइल।


 (प्रवीर कुमार)
 कृषि उत्पादन आयुक्त


 29/6/2016